

डॉ. दीपक कोहली



प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण

प्रदूषण आज विश्वव्यापी समस्या बन गयी है। प्रदूषण केवल पर्यावरण का ह्रास ही नहीं करता, केवल स्वास्थ्य संकट ही उत्पन्न नहीं करता बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में राष्ट्रीय अर्थतंत्र को भी क्षति पहुंचाता है। प्रदूषण के कारण ही आज वैश्विक ताप वृद्धि, ओजोन परत क्षय, अम्ल वर्षा, अकाल, सूखा, बाढ़, भूकंप, भूमि अपकर्ष, मरुभूमि निर्माण, वन्य जीवों का विलुप्तीकरण, स्मारकों को क्षति आदि परिणाम सामने आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में हाल ही में आयी आपदा मनुष्य द्वारा पर्यावरण से की गई छेड़-छाड़ तथा प्रदूषण का ही परिणाम है। प्रदूषण आज हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। वह चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या फिर नाभिकीय प्रदूषण।

पर्यावरण दो शब्दों 'परि' और 'आवरण' से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर का घेरा। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएँ, परिस्थितियाँ एवं शक्तियाँ विद्यमान हैं वे मानव क्रिया कलापों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं एवं उसके लिए एक दायरा, सुनिश्चित करती हैं। इसी दायरे को हम 'पर्यावरण' की संज्ञा देते हैं। मानव जब से जन्म लेता है और जब तक इस धरा पर सांस लेता है, पर्यावरण से जुड़ा रहता है। आंख खुलते ही उसका प्रथम साक्षात्कार पर्यावरण से ही होता है और मरणोपरांत वह इसी पर्यावरण में विलीन हो जाता है। यह क्रम अतीतकाल से अब तक चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। यह इस बात का साक्षी है कि हम और

पर्यावरण एक दूसरे से चोली-दामन की तरह जुड़े हुए हैं।

वर्तमान में बढ़ती हुई भौतिकतावादी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य अपनी सुख-सुविधाओं में अधिकाधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से प्राकृतिक संपदाओं का अविवेकपूर्ण दोहन कर रहा है, जिससे पर्यावरण का ताना-बाना बिगड़ रहा है और प्राकृतिक पर्यावरण से सहज मिलने वाले जीवनदायी तत्व कमजोर पड़ते जा रहे हैं। व्यापक स्तर पर पर्यावरण के दोहन तथा असीमित मात्रा में निकले गंदे और उत्सर्जित पदार्थों के कारण आज न सिर्फ मानव जीवन संकट-ग्रस्त है, अपितु समस्त पृथ्वी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

वायु, जल, भूमि, वनस्पति और प्राणी पर्यावरण के अवयव हैं। मानव अपनी विकासोन्मुखी आकांक्षाओं की तृप्ति हेतु इन प्राकृतिक संपदाओं पर निर्भर रहता है। इन संसाधनों के कुशल प्रबंधन से पर्यावरण स्वच्छ एवं स्वस्थ रहता है, लेकिन यदि इन संसाधनों का मानव अन्धाधुन्ध दोहन करता है तो पर्यावरण में हानिकारक अवांछनीय परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं जिससे जीवन प्रत्यक्ष रूप से दुर्यभावित होता है। इसी विपरीत प्रभाव को 'प्रदूषण' की संज्ञा दी गयी। 'अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी' के अनुसार प्रदूषण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।

“प्रदूषण जल, वायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है जिससे मनुष्य, अन्य जीवों, सांस्कृतिक तत्व तथा प्राकृतिक संसाधनों को कोई हानि हो या होने की सम्भावना हो”

वह पदार्थ या वस्तुएँ जिनसे प्रदूषण होता है, 'प्रदूषक' कहलाते हैं। प्रदूषकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।



कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ वन रहे जल प्रदूषण का कारण

(क) क्षयकारी प्रदूषक (Biodegradable Pollutants) जैसे-घरेलू वाहितमल, कूड़ा-करकट, रद्दी कागज आदि।

(ख) अक्षयकारी प्रदूषक (Non-Biodegradable Pollutants) जैसे-प्लास्टिक, डी. डी. टी., एल्युमिनियम, लोहे के लवण आदि।

प्रदूषण आज विश्वव्यापी समस्या बन गयी है। प्रदूषण केवल पर्यावरण का ह्रास ही नहीं करता, केवल स्वास्थ्य संकट ही उत्पन्न नहीं करता बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में राष्ट्रीय अर्धतंत्र को भी क्षति पहुंचाता है। प्रदूषण के कारण ही आज वैश्विक ताप वृद्धि, ओजोन परत क्षय, अम्ल वर्षा, अकाल, सूखा, बाढ़, भूकंप, भूमि अपकर्ष, मरुभूमि निर्माण, वन्य जीवों का विलुप्तीकरण, स्मारकों को क्षति आदि परिणाम सामने आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में हाल ही में आयी आपदा मनुष्य द्वारा पर्यावरण से की गई छेड़-छाड़ तथा प्रदूषण का ही परिणाम है। प्रदूषण आज हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। वह चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या फिर नाभिकीय प्रदूषण।

वायु सभी प्रकार के जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। मनुष्य बिना भोजन के हफ्तों जी सकता है, बिना पानी के कुछ दिन लेकिन बिना वायु के कुछ मिनट ही जी सकता है। पृथ्वी के वायुमंडल में 6 लाख अरब टन हवा

है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 22000 बार सांस लेता है और प्रतिवर्ष 50 लाख लीटर हवा सांस लेकर फेफड़े से बाहर निकाल देता है। आज जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वह दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। “हवा में जब जहरीली गैसों तथा अवांछनीय तत्व इतनी अधिक मात्रा में मिल जाते हैं कि मनुष्य तथा अन्य जीव-जन्तु विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं तो यह स्थिति वायु-प्रदूषण कहलाती है।” प्रदूषित वायु में हानिकारक गैसों यथा-कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाईऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन आदि का अनुपात बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में हैं, ईंधनों का जलना, परिवहन माध्यमों द्वारा उत्पन्न धुआँ, औद्योगिक संस्थानों से उत्सर्जित होने वाला धुआँ, परमाणु ऊर्जा प्रक्रम एवं तापीय बिजलीघरों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ आदि।

आज अत्यंत प्रचलित शब्द यथा, ‘ग्रीन हाउस प्रभाव’, ‘अम्लीय वर्षा’, ‘ओजोन कवच छिद्र’ वायु प्रदूषण के प्रभाव से ही जनित हैं। वायु प्रदूषक विषैली गैसों से सांस की बीमारियों-ब्रॉन्काइटिस, फेफड़ों का कैंसर आदि बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त सिर दर्द, उल्टी, आँखों की जलन, रक्त में ऑक्सीजन की कमी अपितु कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है। मनुष्यों के साथ-साथ इन जहरीली गैसों का प्रभाव वनस्पतियों पर भी पड़ता



पर्यावरण में जहर घोलता उद्योगों का कार्बन युक्त धुआँ


जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सभी प्रकार के घरेलू और नगर निगम के सीवरों के गंदे पदार्थों के समुचित शोधन के पश्चात ही उसे जल स्रोतों में डालना चाहिए। घर के बेकार जल का उपयोग कृषि कार्य हेतु करना चाहिए। यह उद्यान तथा कृषि के लिए लाभदायक है। उद्योगों के विषैले पदार्थों के जल-स्रोतों में निष्कासन के प्रति कठोर नियम होने चाहिये। मानक स्तर के कीटनाशकों का ही प्रयोग होना चाहिए। नदियों में मृत प्राणियों के शव फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।

है। पौधों की पत्तियों में पाये जाने वाले ‘स्टोमेटा’ को धूम्रकण अवरूद्ध कर देते हैं, जिसके कारण पौधों की जीवन सम्बन्धी प्रक्रियाएँ रूक जाती हैं और पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण का प्रभाव ऐतिहासिक इमारतों पर भी पड़ता है। मथुरा रिफाइनरी की एसिड लपटों के कारण आगरा के ताजमहल तथा मथुरा के मन्दिरों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है। ताजमहल का संगमरमर पीला पड़ता जा रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने ‘संगमरमर का कैंसर’ कहा है। इसके अतिरिक्त इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर के कोयले की राख एवं दिल्ली रेलवे

स्टेशन के इंजनों के धुएँ ने लालकिले के पत्थरों पर भी अपना विपरीत प्रभाव डाला है।

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु विद्यमान वन की सुरक्षा, वन विनाश रोकने तथा वृक्षारोपण की आवश्यकता है। पौधे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन हैं। कम से कम 33 प्रतिशत भू-भाग में वन होना चाहिए। इससे वायु प्रदूषण नियंत्रित तथा पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। प्रत्येक शहर एवं गांव के चारों ओर हरित पट्टी होनी चाहिए। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के चारों ओर भी हरित पट्टी होनी चाहिए। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत मोटर वाहन हैं। अतएव इसके इंजन का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उनसे न्यूनतम प्रदूषण का उत्सर्जन हो। सी. एन. जी. (काम्पेस्ट नेचुरल गैस) ईंधन युक्त वाहनों के उपयोग से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। विकासशील देशों में लकड़ी का जलावन के रूप में उपयोग को रोकना चाहिए। औद्योगिक संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। प्रदूषण से निपटने के लिए पूर्ण व्यवस्था के पश्चात ही उद्योगों को उत्पादन की अनुमति दी जानी चाहिए। क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (सी. एफ. सी.), जो ओजोन परत क्षय का प्रमुख कारण है, का उत्पादन बन्द होना चाहिए। जैव ईंधन के स्थान पर सौर चूल्हे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पैदल या साइकिल से चलने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन सभी उपायों को अपनाकर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में काफी मदद मिलेगी।

जल वैश्विक संपत्ति है। इसके संरक्षण से न सिर्फ स्थानीय लोगों को



प्रदूषण से ओजोन परत की हानि



अनुपयोगी वस्तुएं भूमि प्रदूषण के लिए जिम्मेवार

मदद पहुंचती है अपितु उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी भी लाभान्वित होते हैं। जल के अभाव में इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वर्तमान में जल के लगभग सभी स्रोत प्रदूषित हैं। जल प्रदूषण से तात्पर्य है कि बाहरी पदार्थों द्वारा जल स्रोतों का प्रदूषित होना। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जल प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित करता है- "प्राकृतिक या अन्य स्रोत से कोई बाहरी पदार्थ जो जल आपूर्ति या स्रोत को प्रदूषित करता है, जल प्रदूषण कहलाता है।" जल प्रदूषण के प्रमुख कारकों में घरेलू व्यर्थ पदार्थ, वाहित मल, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशी पदार्थ, उर्वरकों के रासायनिक तत्व व पेट्रोलियम पदार्थ सम्मिलित हैं। जो पानी जीवन की रक्षा करता है वही प्रदूषित हो जाने पर बीमारियों तथा मृत्यु का कारण बनता है। विकासशील देशों में मरने वाले पांच बच्चों में से चार पानी की गंदगी के कारण उत्पन्न हुए रोगों जैसे- टाइफाइड, पीलिया, हैजा, पेचिश, पेट में कीड़े और यहां तक कि मलेरिया, के कारण होता है। अधिक मात्रा में प्लुओराइड्स युक्त जल को लम्बे समय तक पीने से 'प्लुओरोसिस' नामक रोग हो जाता है। जापान में खाड़ी के जल में पारे (Hg) की उच्च सान्द्रता होने के कारण वहां की मछलियों तथा उन्हें खाने वाले कई लोगों की मृत्यु हो गयी थी। लखनऊ की गोमती नदी में लखीमपुर चीनी मिल तथा अन्य कारखानों के कारण पानी इतना विषाक्त हुआ है कि अक्सर मरी हुई

मछलियां मछुआरों के जाल में आती हैं। कानपुर में लेदर इंडस्ट्रीज के औद्योगिक अपशिष्ट गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण की स्थिति यह है कि यह नदी एक गंदा नाला बनकर रह गयी है। जल प्रदूषण से समुद्री जीवों तथा जलीय पादपों को भी हानि पहुंचती है। इससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है।

जल प्रदूषण को नियन्त्रित करने हेतु सभी प्रकार के घरेलू और नगर निगम के सीवरों के गंदे पदार्थों के समुचित शोधन के पश्चात ही उसे जल स्रोतों में डालना चाहिए। घर के बेकार जल का उपयोग कृषि कार्य हेतु करना चाहिए। यह उद्यान तथा कृषि के लिए लाभदायक है। उद्योगों के विषैले पदार्थों के जल-स्रोतों में निष्कासन के प्रति कठोर नियम होने

पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता अनिवार्य है। पर्यावरण के सबसे बड़े संरक्षक लोग ही हो सकते हैं। पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेष्ट किया जा सकता है तथा जन जागृति पैदा कर पर्यावरण के खतरे को टाला जा सकता है। अतः प्रत्येक सामान्य जन को भी अपनी भूमिका समझनी होगी, तभी हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और हमें भी स्वस्थ एवं सुखी रखेगा।

चाहिये। प्रत्येक उद्योग को अपनी गंदगी शोधन व्यवस्था खुद करनी चाहिए। मानक स्तर के कीटनाशकों का ही प्रयोग होना चाहिए। नदियों में मृत प्राणियों के शव फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। नदियों के किनारे मल त्याग पर पूर्ण रोक लगानी चाहिए। देश में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 लागू है। इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ सभी लोगों का समुचित योगदान भी जल प्रदूषण की रोकथाम में वांछनीय है।

भूमि का प्राकृतिक संसाधनों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों तथा अपशिष्ट पदार्थों का विलय प्रायः भूमि में होता रहता है। जिसके कारण मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों का जीवन प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। इस प्रकार "भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका हानिकारक प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़ता है या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो जाती है, भूमि-प्रदूषण कहलाता है।" भूमि प्रदूषण के कारकों में जीवनाशक रसायन, कृत्रिम उर्वरक, नगरीय अपशिष्ट पदार्थ, जहरीले कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। जीवनाशक रसायनों में कीटनाशक, फँफूदी नाशक, खरपतवार नाशक आदि आते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा घातक रोगों से मुक्ति दिलाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान

रहा है। दूसरी ओर इनके असंतुलित प्रयोग से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। कृत्रिम उर्वरकों के अनियमित प्रयोग से भूमि में कुछ तत्वों की अधिकता तथा विषैलापन हो जाता है। नगरों के सीवेज में विद्यमान फँफूदी, जीवाणु, विषाणु तथा भारी तत्वों का भूगर्भ जल तथा भूमि पर उगायी जाने वाली फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक कूड़े-कचरे में पाये जाने वाले अकार्बनिक अवशेष पदार्थों के निकास प्रबंध की एक गंभीर समस्या है। ये अवशेष पदार्थ क्रोमियम, मरकरी, लैड आदि भारी तत्वों से युक्त होते हैं, जो कि विषैले होते हैं। भूमि प्रदूषण का एक अन्य स्रोत कूड़ा-करकट भी है। इसके अन्तर्गत कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन, टिन आदि आते हैं। एक ही स्थान पर एकत्रित होने के कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका पूर्ण अपघटन सम्भव नहीं हो पाता है, फलस्वरूप इनसे भूमि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है।

भूमि प्रदूषण को नियन्त्रित करने हेतु रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कम करके इनके स्थान पर जैविक-खाद, भू-परिष्करण क्रियाओं की थैलियों, टिन आदि को रिसाइकिल करके इनका पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। औद्योगिक कूड़े-कचरे से विषैले पदार्थों को अलग करके ही इनका निकास प्रबंधन करना चाहिए। अन्य औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों की मॉनीटरिंग की व्यवस्था की

प्रदूषण नियंत्रण.....

जानी चाहिए। कूड़े-करकट का उचित प्रबन्ध होना चाहिए। तभी हम भूमि प्रदूषण से मानव एवं अन्य जीवों को सुरक्षित रख सकते हैं।

औद्योगिकीकरण में वृद्धि के फलस्वरूप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण के साथ-साथ शोर की मात्रा में भी दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण आधुनिकीकरण की ही देन है। “शोर अर्थात् ध्वनि प्रदूषण को उस ध्वनि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो श्रोता को अरुचिकर लगे।” वायुयानों का शोर, मोटर गाड़ियों के हार्न, रेलगाड़ियों की सीटियों, कारखानों की मशीनों की आवाज, बैंड-बाजों की ध्वनि, पटाखों का शोर आदि से हमारे चारों ओर का वातावरण ध्वनि प्रदूषण का शिकार होता जा रहा है।

ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता की माप करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है, उसे ‘डेसिबल’ कहते हैं। सामान्यतः 55 से 60 डेसिबल का शोर हमारे लिए सहनीय होता है, इससे अधिक तीव्रता का शोर मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कॉक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि, “भविष्य में एक दिन ऐसा आयेगा, जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बुरे शत्रु के रूप में क्रूर शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। यह आधुनिक युग का अभिशाप है और हम इसके ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित व्यक्ति की नींद में कमी, कार्य में अरुचि, क्रोध एवं मानसिक तनाव, बहरापन, घबराहट, सिर दर्द, रक्तचाप में वृद्धि आदि बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भवस्थ शिशु पर भी कुप्रभाव पड़ता है एवं उसे विकलांगता जैसे संकट में डाल सकता है।

ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। मोटर वाहनों में तेज आवाज वाले हार्न पर प्रतिबंध होना चाहिए। उद्योगों की स्थापना शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण बस्तियों से दूर किया जाना चाहिए। नगरों में ध्वनि विस्तारक



ध्वनि प्रदूषण बन रहा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा

यंत्रों, लाउडस्पीकरों की तेज आवाज को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। शोर वाले स्थानों पर ध्वनि शोषक यंत्र लगाए जाने चाहिए। शोर कम करने के लिए ध्वनि शोषक वृक्षों का रोपण किया जाए।

‘नाभिकीय प्रदूषण’ मुख्य रूप से वायुमंडल में परमाणु बमों में विस्फोट व परीक्षण के द्वारा, परमाणु बिजलीघरों के अपशिष्ट कचरे द्वारा एवं परमाणु सयन्त्रों में नाभिकीय रिसाव से होता है। प्राकृतिक यूरैनियम अयस्क के खनन, सान्द्रण, संवर्धन से लेकर सम्पूर्ण नाभिकीय ईंधन चक्र प्रक्रम में होने वाले परिवर्तनों की अवधि में अत्यधिक रेडियो सक्रिय पदार्थ थोरियम, रेडॉन 222 आदि बड़ी मात्रा में बनते हैं।

नाभिकीय प्रदूषण के दुष्प्रभावों में जीन व गुण सूत्रों में परिवर्तन हो जाता है। नाभिकीय प्रदूषण के प्रभाव से गर्भाशय में शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। ल्यूकैमिया और अस्थि कैंसर हो जाता है। इसके अलावा असामयिक बुढ़ापा, स्नायु तन्त्र में विकार, त्वचा का कैंसर, सिर के बालों का गिरना, अपंग एवं विकृत सन्तानों का पैदा होना आदि भी नाभिकीय प्रदूषण के ही प्रभाव हैं।

नाभिकीय प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए परमाणु बम तथा अन्य नाभिकीय बमों के निर्माण पर रोक लगायी जाए तथा विश्व में नाभिकीय भण्डारों को समाप्त किया जाए ताकि नाभिकीय युद्ध से बचा जा सके। परमाणु बमों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाये जायें। परमाणु बिजली घरों से उत्पन्न कचरे को ऐसे क्षेत्रों में दफनाया जाए जहां से रेडियोधर्मी विकिरण द्वारा जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों तथा मानव जाति को हानि न हो। रिएक्टरों से रिसाव, रेडियोएक्टिव ईंधनों का उपयोग, रेडियो आइसोटोपों तथा

विखण्डित उत्पादों को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। सुरक्षा के उपायों को सख्ती से लागू करना चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न रूपों ने पर्यावरण तथा आम आदमी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पर्यावरण के विभिन्न प्रदूषणों की वजह से पारिस्थितिकीय असंतुलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिससे मनुष्य के साथ-साथ वनस्पतियों, जीव जन्तुओं का जीवन संकट ग्रस्त होता जा रहा है। इस पर्यावरण संकट से उबरने के लिए पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा पर्यावरण संकट को नियन्त्रित किया जा सकता है। पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का युक्ति संगत उपयोग, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, आर्थिक मूल्यों को नई दिशा प्रदान करना एवं शुद्ध पर्यावरण प्रदान करना है। यह कार्य व्यष्टि से न होकर समष्टि से ही संभव है। इसमें प्रशासन, स्वयंसेवी संरचनाएं एवं प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि हम पर्यावरण की शुद्धि चाहते हैं तथा कालान्तर में उसे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक बनाये रखना चाहते हैं तो हमें इसके संरक्षण एवं प्रबंधन पर समुचित ध्यान देना होगा।

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु निम्नांकित हैं:-

1. पर्यावरण के विभिन्न घटकों को प्रदूषित होने से बचाना।
2. जनसंख्या को नियन्त्रित करना।
3. अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना।
4. विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण।
5. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों यथा-सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग किया जाना।
6. जनमानस में पर्यावरण चेतना



प्रदूषण जन जीवन के लिए अभिशाप

जागृत करना तथा पर्यावरण शिक्षा का प्रचार-प्रसार।

7. पर्यावरण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करना।
8. प्रदूषण सम्बन्धी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना।
9. पर्यावरण के विविध पक्षों पर अन्वेषण कार्य करना व उसे बिगड़ने से बचाना।
10. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु किए गए उपायों के परिणामों की सतत जांच एवं सुधार करना।

पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता अनिवार्य है। पर्यावरण के सबसे बड़े संरक्षक लोग ही हो सकते हैं। पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेष्ट किया जा सकता है तथा जन जागृति पैदा कर पर्यावरण के खतरे को टाला जा सकता है। अतः प्रत्येक सामान्य जन को भी अपनी भूमिका समझनी होगी, तभी हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और हमें भी स्वस्थ एवं सुखी रहेगा। किसी कवि ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है-

शुद्ध वातावरण,
स्वच्छ पर्यावरण,

हो हमारा-तुम्हारा यही आचरण।

हर कहीं स्वच्छता,
स्वच्छ नर, नीर हो।

शुद्ध हो वायु, नभ,
नष्ट हर पीर हो।

शुद्ध अंतः करण,
हम प्रकृति की शरण,

सृष्टि की कामना,
प्रेम का संचरण।

शुद्ध वातावरण,
स्वच्छ पर्यावरण,

हो हमारा-तुम्हारा यही आचरण।

संपर्क करें:

डॉ. दीपक कोहली (अनुभाग अधिकारी)

सचिवालय प्रशासन विभाग

5/104, विपुल खण्ड, गोमती नगर

लखनऊ-226010 (उ.प्र.)

मो.न.: 05222067117